

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 872

दिनांक 17 सितम्बर, 2020 / 26 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 का नागर विमानन क्षेत्र पर प्रभाव

872. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
सुश्री दिया कुमारी:
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोविड-19 महामारी के कारण नागर विमानन क्षेत्र को कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार की सामान्य प्रचालन की पुनर्बहाली की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
और

(ग) इस हानि को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): हितधारकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नागर विमानन क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव निम्नानुसार है:

1. अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उड़ान प्रचालन पर विनियामक प्रतिबंध है जिससे प्रचालन में भारी कमी की गई है और विमानों का उपयोग भी उप-इष्टतम (Sub-optimal) हो रहा है।
2. अंतर्देशीय यातायात मार्च-जुलाई 2019 में 5,85,30,038 से घटकर मार्च-जुलाई 2020 में 1,20,84,952 रह गया है।
3. मार्च-जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय यातायात 93,45,469 था जो मार्च-जुलाई 2020 में घटकर 11,55,590 रह गया है।
4. भारतीय वाहकों का राजस्व अप्रैल-जून 2019 में 25,517 करोड़ रुपये से घटकर अप्रैल-जून 2020 में 3,651 करोड़ रुपये रह गया है।
5. हवाईअड्डा प्रचालकों का राजस्व अप्रैल-जून 2019 में 5,745 करोड़ रुपये से घटकर अप्रैल-जून 2020 में 894 करोड़ रुपये रह गया है।
6. एअर इंडिया के संबंध में, अप्रैल-जून 2019 में कुल राजस्व 7066 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल-जून 2020 में 1531 करोड़ रुपये रह गया है।
7. 31 मार्च 2020 को एयरलाइनों में रोजगार 74,887 से घटकर 31 जुलाई 2020 तक 69,589 रह गया है।
8. 31 मार्च 2020 को हवाईअड्डों में रोजगार 67,760 से घटकर 31 जुलाई 2020 तक 64,514 रह गया है।

9. 31 मार्च 2020 को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों में रोजगार 37,720 से घटकर 31 जुलाई 2020 तक 29,254 रह गया है।

10. 31 मार्च 2020 को कार्गो प्रचालन में रोजगार 9,555 से घटकर 31 जुलाई 2020 तक 8,538 रह गया है।

(ग): विमानन क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव को घटाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। विमानन क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

1. कोविड-19 महामारी के कारण, अंतर्देशीय हवाई सेवाएँ अंशांकित (calibrated) रूप से पुनः प्रारम्भ की गई हैं। आरंभ में ग्रीष्म कार्यक्रम 2020 के केवल एक तिहाई (33 प्रतिशत) प्रचालन की अनुमति दी गई थी जिसे 26 जून 2020 को 45 प्रतिशत तथा फिर 2 सितंबर 2020 को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया।

2. उपर्युक्त-उल्लिखित प्रतिबंधों के बिना क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) उड़ानों का प्रचालन आरंभ किया गया।

3. विभिन्न देशों यथा अफ़ग़ानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कतर, मालदीव, यूएई, यूके और यूएसए के साथ विशिष्ट एअर-लिंक्स या एअर बबल्स स्थापित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएँ प्रारम्भ करने के लिए ये अस्थायी प्रबंध हैं जबकि कोविड-19 के कारण नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी स्थगित हैं।

4. पीपीपी मार्ग के ज़रिये मौजूदा और नए हवाईअड्डों में निजी निवेश को प्रोत्साहन।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त देख-रेख की गई कि जब भी अपेक्षित हो, सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो टर्मिनल प्रचालनिक हो।

6. घरेलू अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहौल (एमआरओ) पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

7. विमान कार्गो यातायात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय वाहकों को प्रोत्साहित करना।

8. बेहतर हवाईक्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्ग और ईंधन खपत में कमी के लिए भारतीय वायु सेना के साथ समन्वयन में भारतीय वायुक्षेत्र में मार्गों का युक्तीकरण।
